पत्रांक– 9/नि०–01–03/2014–सा०प्र०............................/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–......................

विषयः– **बिहार राज्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह– 'ग' एवं 'घ' के पद पर मेधा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2009 (समय–समय पर यथासंशोधित) के आलोक में दिनांक 02.04.11 को प्रकाशित विज्ञापन के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर दिनांक–31.03.2015 को आहूत चयन समिति की बैठक में हॉकी खेल विधा की प्रकाशित संशोधित अंतिम मेधासूची में से मेधाकम 1, 2 एवं 3 पर स्थित खिलाड़ियों की नियुक्ति की अनुशंसा पूर्व में की गई थी परन्तु मेधा क्रमांक–4 एवं 5 पर नियुक्ति के लिए खिलाड़ियों द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–20739/2011 राम सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा एल0पी0ए0 सं0–1108/14, बिहार राज्य बनाम राम सिंह एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रहने के चलते, अनुशंसा लंबित थी।

2. एल0पी0ए0 सं0–1108/14, बिहार राज्य बनाम राम सिंह एवं अन्य में दिनांक 07.03.2014 को पारित आदेश के अनुपालन में चयन समिति की दिनांक 30.08.16 की बैठक में अनुमोदित हॉकी खेल विधा की अंतिम मेधासूची में मेधाक्रमांक–3 पर अवस्थित खिलाड़ी श्री महेन्द्र नाथ शर्मा (फार्म संख्या–759) की चयन समिति की दिनांक–31.03.2015 की बैठक में समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी तथा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–8051 दिनांक–04.06.2015 द्वारा इनकी नियुक्ति हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना आवंटित किया गया था। श्री शर्मा के सिंचाई विभाग में समूह 'घ' के पद पर योगदान नहीं करने के कारण एक पद रिक्त रह गया।

3. वर्तमान में चल रहे एम0जे0सी0 सं0–931/2016, राम सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–26.03.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में चयन समिति की दिनांक 04.04.2018 की बैठक में हॉकी खेल विधा के 5 में से शेष बचे 3 पदों पर नई मेधा सूची में से वरीयता क्रम–4, 5 एवं 6 पर स्थित क्रमशः श्री प्रभाकर निगम, शैक्षणिक योग्यता–मैट्रिक एवं श्री अनिकेत कुमार, शैक्षणिक योग्यता–मैट्रिक की नियुक्ति

समूह 'घ' के पद पर तथा श्रीमती अनुभा सिंह, शैक्षणिक योग्यता स्नातक, B.P.Ed की नियुक्ति समूह 'ग' के पद पर किये जाने की अनुशंसा की गई।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0 16144 दिनांक 28.11.2012 में निहित प्रावधान है कि किसी भी नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की निर्धारित प्रकिया को शुरू करने के बाद पूर्व से लागू किसी नियम/नियमावली में जबतक कोई संशोधन किसी भूतापेक्षी तिथि से लागू नहीं हो, तब तक जारी नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रकिया के बीच में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

5. उक्त परिपत्र के आलोक में "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2009 (यथासंशोधित) के नियम–4.7 में प्रदत्त शक्तियों के तहत दिनांक–04.04.2018 की बैठक में चयन समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों को पुनरीक्षित वेतन स्तर–1 मूल वेतन–18000 एवं वेतन स्तर–2 मूल वेतन–19900 में नियुक्ति की अनुशंसा की जाती है तथा निम्न विवरणी के अनुसार कार्यालय आबंटित किया जाता है:–

क्रम सं0	फॉर्म संख्या	नाम एवं पता	खेल विधा	केटेगरी	शैक्षणिक योग्यता	आवंटित विभाग /कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	733	श्री प्रभाकर निगम, पिता–श्री जयकांत पासवान, ग्राम+पो0– बगरस, थाना– बखरी, जिला– बेगूसराय, राज्य–बिहार, पिन– 851101	हॉकी	अनुसूचित जाति	मैट्रिक	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना	समूह 'घ'
2.	67	श्री अनिकेत कुमार, पिता–श्री शालीग्राम प्रसाद, मो0–श्रीटोला आरा, पो0+थाना–नवादा आरा, जिला– भोजपुर, राज्य–बिहार, पिन–802301	हॉकी	अनुसूचित जाति	मैट्रिक	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	समूह 'घ'
3.	47	श्रीमती अनुभा सिंह, पिता–श्री राम बच्चन सिंह, मकान संख्या–25, प्रोफेसर कॉलोनी, उत्तरी पटेल नगर, पो0– शास्त्री नगर, पटना, पिन–800023	हॉकी	सामान्य	बी0ए0, बी0पी0एड	वित्त विभाग, बिहार, पटना	समूह 'ग'

6. उक्त अभ्यर्थियों का मूल आवेदन, सभी अनुलग्नक (शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, जन्म तिथि , जाति प्रमाण–पत्र, खेल विधा प्रमाण–पत्र की छाया प्रति) सहित संलग्न कर भेजी जा रही है। उन प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित निर्गत प्राधिकार से अवश्य करा लिया जाएगा।

7. जिन शैक्षणिक/आवासीय प्रमाणपत्रों के आधार पर अंतिम मेधासूची (संलग्न) प्रकाशित कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है, नियुक्ति के पूर्व उन मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन उन्हें निर्गत करने वाले संस्था/कार्यालय से कराया जाना आवश्यक है। इसे किसी भी परिस्थिति में waive

नहीं किया जा सकता है।

8. श्री प्रभाकर निगम एवं श्री अनिकेत कुमार तथा श्रीमती अनुभा सिंह के खेल प्रमाणपत्रों का सत्यापन संबंधित खेल संघों से करवाया जा चुका है। अतः इनके खेल प्रमाणपत्रों के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। सुलभ प्रसंग हेतु सत्यापन की मूल प्रति संलग्न है।

9. श्री प्रभाकर निगम के आवेदन पत्र के साथ 'अस्थाई' आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न है। अतः नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इनसे बिहार राज्य का स्थाई आवासीय प्रमाण पत्र आवश्य प्राप्त कर लिया जायेगा। क्योंकि खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली के अनुसार बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

10. उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी तथा प्रमाणपत्रों के सत्यापन में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

11. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या– 2082 दिनांक– 01.04.2003 एवं पत्र संख्या– 1859 दिनांक– 08.07.2006 में विहित प्रावधानों के अनुपालन के उपरांत ही पदस्थापन के विभाग द्वारा नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

12. नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के उपरांत चयनित खिलाड़ियों द्वारा दिये गये योगदान की तिथि से वेतन एवं भत्ते देय होंगे।

13. किसी तरह की विसंगति की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को तुरत अवगत कराया जायेगा तथा उसका निराकरण कराया जायेगा।

14. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 9/नि0–01–03/2014–सा0प्र0................................/ पटना 15, दिनांक–......................

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव (मुख्यालय स्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–9/नि0–01–03/2014–सा0प्र0................................/ पटना–15, दिनांक–...........................

प्रतिलिपि– सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इन्हें निदेश दिया जाता है कि आवंटन पत्र निर्गत होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर आवंटित कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करेंगे।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 9/नि0–01–03/2014–सा0प्र0................................/पटना 15, दिनांक–......................

D:\SHREE\player's folder\draft of playaer.docx

प्रतिलिपि— जी0पी0—17, महाधिवक्ता कार्यालय, पटना को एम0जे0सी0 संख्या—930/2016, राम सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य तथा उनके पत्रांक—7768 दिनांक— 28.03.2018 के प्रसंग में सूचना एवं माननीय उच्च न्यायालय को न्यायादेश के अनुपालित हो जाने से अवगत कराए जाने हेतु प्रेषित।

ह0/—

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक— 9/नि०—01—03/2014—सा०प्र० 5324 / पटना 15, दिनांक— 19|4|2018

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव/निदेशक, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

D:\SHREE\player's folder\draft of playaer.docx

[illegible]	Shashi Kr. [illegible]na	Megh Bahadur Rana	H/o Umesh Singh Po-B.V.C. PS-Air Port, Patna-800014	07.01.1993	I.A					2010		M.P.
[illegible]34	[illegible]ndu Raj	Shambhu Nath Prasad	Mo+P.-South of Pakri Gas Agency, Ps-Nawada, Dist-Bhojpur-802201	22.01.1993	I.Sc					2011		Harayana
[illegible]32	[illegible]it Kumar Pandey	Ramnarayan Pandey	Ajit Kumar Pandey S/o- Shri Ramnarayan Pandey, Janardanpur, Po-Durgawati Kaimur Bhabua-821105	13/12/1985	M.P.Ed						1st	2006-07 Represented B.H.U at B.H.U
25 [illegible]	Dolly Kumari	Dev Narayan Singh	Narayan City Apartment Block-D, F.No-303, Brahamsthan Road, Sheikhpura Baily Road, Dist-Patna-Bihar Pin-800014	10/08/1990	I.Sc						3rd 3rd	2008-09 Kurushetra University 2010 Jivaji University
21 [illegible]	Meeni Kumari	Sri Laxman Kisnor Singh	Raja Bazar Gupta Market Beli Road, B.V. College *Patna*-800014	22-02-1991	I.A						3rd 3rd	Rohtak in 2010(Represented G.N.D.U) Kruchetra in 2008-09 (Represented G.N.D.U)
[illegible]71	Vasim Akram	Nisar Ahmad	Vill-Hardaspur Post-Bamhour Khas, Distt-Kaimur	07.07.1989	I.A						3rd	Shambal Pur 2009

[illegible] एल0पी0ए0 सं0 1108–2014 बिहार सरकार बनाम राम सिंह एवं अन्य में दिनांक 07.07.15 को पारित आदेश के अनुपालन में उक्त तीनों [illegible] द्वारा समर्पित Testmonial का संबंधित फेडरेशन एवं बिहार हॉकी एसोसिएशन से सत्यापन कराये जाने के उपरांत प्राप्त प्रतिवेदन में श्री राम [illegible] जूनियर अंडर 18 नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप, 2008 हैदराबाद में गलत उम्र प्रमाण पत्र के आधार पर शामिल होना प्रतिवेदनि है। अतः उक्त [illegible] प्रमाण पत्र को अमान्य कर मेधा क्रम तैयार किया गया है, जिसमें क्रम संख्या–4, 5 एवं 13 पर कमश प्रभाकर निगम, अनिकेत कुमार एवं श्री राम सिंह को [illegible] गया है। उक्त मेधा सूची एल0पी0ए0 संख्या–872/2014, आइ0ए0 संख्या–4694/2014 तथा एम0जे0सी0 संख्या–................../2015 में पारित [illegible] न्यायादेश से प्रभावित होगी।